न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 26/2019

GCMS No.–2019/00093

श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी श्री नरेन्द्र प्रकाश पुत्री कन्हैयालाल, उम्र 58 वर्ष निवासी सदर बाजार कानोता, ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर
2. रामगोपाल तिवाडी पुत्र कन्हैया लाल

   समस्त जातियान ब्राहम्ण, निवासीयान–ग्राम बांसखोह , तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1892 दिनांक 15.07.2016 तहसीलदार बस्सी ,जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित।
3. रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 21.10.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 15.07.2016 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1892 ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 643/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नंबर 880/643 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 ल. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति की कृषि भूमि वाके ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नंबर 643/1 रकबा 10 बीघा, 880/643 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा है। उक्त भूमि अपीलांट के दादाजी की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी अपीलांट के पिता रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका उन्होनें गलत फायदा उठाते हुये उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का उपहार पत्र अवैध व गलत तरीके से अपने पुत्र रेस्पा0 संख्या 2 के नाम से दिनांक 13.07.2016 को करवा दिया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार कर लिया जो गलत व अवैध है। अपीलांट सजरा खानदान के अनुसार 1/6 हिस्से की मालिक एवं स्वामी है जिसने अपने हिस्से व हक की घोषणा करवाने हेतु राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जयपुर में दिनांक 09.05.2016 को दावा पेश कर रखा है जिसमें रेस्पा0 संख्या 1 व 2 पक्षकार है जिनको इस दावे की पूर्ण जानकारी शुरू से ही थी एवं तहसीलदार बस्सी एवं उपपंजीयक बस्सी भी उक्त दावे में पक्षकार है। रेस्पा0 संख्या 1 व 2 भलीभांति जानकार थे कि अपीलांट इनकी पुत्री व बहन है जिसका विवादित भूमि में हिस्सा 1/6 है, इसके बावजूद भी रेस्पा0 नंबर 1 ने अपने हिस्से 1/6 से भी अधिक 1/2 भूमि का हस्तांतरण अपने सगे पुत्र रेस्पा0 संख्या 2 के हक में अवैधानिक तरीके से कर दिया, जो अवैध एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में विवादित भूमि के दावा विचाराधीन होने के बावजूद नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 2 के हक में तस्दीक कर दिया। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी और जानकारी होने के बाद अविलम्ब अपीलांट द्वारा दिनांक 20.06.2019 को नकल का आवेदन किया एवं दिनांक 24.06.2019 को नकल प्राप्त की। इसके बाद अविलम्ब अपील तैयार की जाकर माननीय न्यायालय में अपील पेश की गयी। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वार निर्णित नामान्तकरण संख्या 1892 दिनांक 15.07.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजि. उपहार पत्र के आधार पर भरा जाकर रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। अपीलांट व रेस्पा0 के हक अधिकार ए.सी.ई.एम बस्सी में विचाराधीन दावे में तय होगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजि. उपहार पत्र के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो अनुसार जाहिर किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के बाद दिनांक 20.06.2019 को अपीलांट ने नकल का आवेदन कर दिनांक 24.06.2019 को नकल प्राप्त की एवं अविलम्ब न्यायालय हाजा में अपील पेश की है। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है एवं अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 1892 ग्राम बांसखोह, तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपने पुत्र के हक में किये गये रजि0 उपहार पत्र के आधार पर रेस्पा0 संख्या 2 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 15.07.2016 को स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट एवं रेस्पा0 की पैतृक भूमि है। रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपने पुत्र रेस्पा0 संख्या 2 को जरिये रजि0 उपहार पत्र भूमि का हस्तान्तरण किया गया है जबकि अपीलांट का भी पैतृक सम्पत्ति में हक, अधिकार निहित है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का जरिये रजि0 उपहार पत्र हस्तान्तरण किया है जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर